महोदय,

वकील श्री ......K.S.P.......... ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हैतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

26/5/23

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....28.6.23.... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/6/23
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....16/8/23....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

27/9/23
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....30/10/23....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

30/10/23
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....19/12/23....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/12/23
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....7-2-24....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

7/2/24
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....20/3/24....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

20/3/24
पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय छुट्टी/अन्य राजस्व कार्य
धरना/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक....14/5/24....को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 26/6/24 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

26/6/24 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० साक्ष्य देने समय चाहा है, दिया जाता है तहसील से प्रकरण में रिपोर्ट ली जावे पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि० 10/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
मनोहरथाना (झालावाड़)

10/7/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 3/9/24 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

3/9/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

26/11/24 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 22.1.25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

22/1/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 19/3/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/3/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19/5/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

30/5/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित है। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त है पत्रावली वास्ते साक्ष्य व बहस दि० 13/06/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

13/6/25 पत्रावली पेश हु.। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

17/6/25 पत्रावली पेश हुई। TDR रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार TDR रिपोर्ट प्राप्त वास्ते हाजर दिनांक 24/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/6/25 पत्रावली पेश हु.। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी सरकार पेरोकार उप.। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार दिनांक 13/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मनोहरथाना से रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार TDR रिपोर्ट दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हु.। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

रीडर

सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25.9.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप.। पैरोकार सरकार उप.। जवाब पेश किया। प्रति प्रार्थी अभिभाषक को दिलाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

7/10/25

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली नतीजा मुताबिक होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	65/23
दायर दिनाँक :—	26.05.2023
निर्णय दिनाँकः—	07.10.2025
उनवान :—	मांगीलाल

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा (नायब तहसीलदार) सरकार पैरोकार
2 श्री केसरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी मांगीलाल पुत्र कालू जाति लोधा निवासी टोडरा तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बंजारी की खाता संख्या नया 43 (पुराना 32) की खसरा संख्या 89/60 व 90/60 कुल किता 02 की 1.0522 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं सहखातेदार भाई रोडा पिता कालू के खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम " मांगीलाल पुत्र गोप्या " दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम " मांगीलाल पुत्र कालू " है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम बंजारी के उक्त खसरा नंबरों में प्रार्थी का नाम " मांगीलाल पुत्र गोप्या " के स्थान पर

''मांगीलाल पुत्र कालू '' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकरी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी अप्रार्थी/सरकार पैरोकार, उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि मांगीलाल पुत्र कालू व मांगीलाल पुत्र गोप्या एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम '' मांगीलाल पुत्र गोप्या '' दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम '' मांगीलाल पुत्र कालू '' है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि मांगीलाल पुत्र कालू व मांगीलाल पुत्र गोप्या एक ही व्यक्ति है। अतः बाद अवलोकन व मनन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना